संख्याः 351 / xxxi(13)G / 2012–108(सा0) / 2012

प्रेषक

सुरेन्द्र सिंह रावत,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.समस्त प्रमुख सचिव / सचिव
उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3. समस्त जिलाधिकारी / मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादूनः दिनांक 31 दिसम्बर, 2012

विषयः– आवेदित सूचना स्पष्ट रूप से चिन्हित न होने के सम्बन्ध में।

महोदय,

यह देखने में आया है कि प्रायः सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत मांगी गयी 'सूचना' भली भांति चिन्हित नहीं होती है जिसके कारण 'सूचना' आवेदक को उपलब्ध कराने में कठिनाई होती है।

2. कभी–कभी आवेदन किया जाता है किः–

(1) शिकायतों की जांच न करने पर अधिकारी को दण्डित करने सम्बन्धी शासनादेश की छाया प्रति दी जाये।

(2) सरकारी सेवक अपने पद का दुरपयोग न करे इस सम्बन्ध में निर्गत नियम / शासनादेश की प्रमाणित छाया प्रतियां,

(3) सरकारी सेवक के सेवा शर्तों के सम्बन्ध में जारी समस्त शासनादेश की छाया प्रतियां,

(4) स्थल निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट में कार्य में कमी पाने पर भी अधीनस्थ के विरूद्ध कार्यवाही न करने वाले अधिशासी अभियन्ता के विरूद्ध कार्यवाही करने के आदेश की छायाप्रति।

यह कुछ उदाहरण है जिनमें आवेदक द्वारा जो सूचना मांगी गयी है वह स्पष्ट नहीं है। आवेदक ने लोक सूचना अधिकारी से अपेक्षा की है कि वह आवेदित सूचना चिन्हित करें और तब उसका नियमानुसार शुल्क प्राप्त करके प्रति दें। आवेदक द्वारा आवेदन से पूर्व यह समाधान नही किया गया है कि आवेदित सूचना अस्तित्व में है या नहीं। यदि सूचना अस्तित्व में है और भौतिक रूप है तभी सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना दी जा सकती है। उक्त बिन्दु (1) तथा बिन्दु (2) तथा बिन्दु संख्या (4) इसी प्रकार के हैं जहां आवेदक स्वंय नहीं स्पष्ट है कि आवेदित सूचना का अस्तित्व है या नहीं। बिन्दु संख्या (3) में मांगी गयी सूचना

है। यदि किसी लोक प्राधिकरण के पास कोई सूचना डाटा अथवा विश्लेषित डाटा, अथवा सारों, अथवा आंकड़ों के रूप में हो तो कोई आवेदक ऐसी सूचना तक अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों का ध्यान रखते हुए पहुंच बना सकता है। किन्तु जहां सूचना किसी लोक प्राधिकरण के अभिलेख का कोई भाग नहीं है, और जहां ऐसी सूचना लोक प्राधिकरण के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत बनाए रखी जानी अपेक्षित नहीं है, अधिनियम लोक प्राधिकरण पर ऐसी अनुपलब्ध सूचना को एकत्र करने अथवा मिलाने और तत्पश्चात् किसी आवेदक को इसे प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।

6. उपरोक्त से स्पष्ट होगा कि आवेदक को सूचना अधिकार के अन्तर्गत आवेदन करने पर वह सूचना ही सुलभ करायी जायेगी, जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है अथवा जो लोक प्राधिकारी के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत बनाये रखी जानी अपेक्षित है। राज्य सरकार के कर्मचारी/अधिकारी की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ऐसी सूचना जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित नहीं है अथवा जो सूचना लोक प्राधिकारी के किसी कानून अथवा नियमों अथवा विनियमों के अन्तर्गत बनाये रखी जानी अपेक्षित नहीं है, के मांगे जाने पर आवेदक को स्पष्ट किया जा सकता है कि आवेदित सूचना लोक प्राधिकारी द्वारा धारित नही है और न ही लोक प्राधिकारी के किसी कानून, नियम अथवा विनियम के अन्तर्गत बनाये रखी जानी अपेक्षित है, इस कारण से वह सूचना नहीं दी जा सकती है।

7. राज्य सरकार के कर्मचारियों/अधिकारियों की सम्पत्ति का विवरण सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत आवेदन किये जाने पर उक्त के आलोक में आवेदक को सुलभ कराने के सम्बन्ध में लोक सूचना अधिकारी अथवा अपीलीय अधिकारी निर्णय लेने का कष्ट करें।

संलग्नक:—यथोपरि।

भवदीय,

(सुरेन्द्र सिंह रावत)
सचिव।

संख्या—1925/xxxi(13)G-57(स0अ0)/2012 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊ मण्डल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अनुभाग, उत्तराखण्ड सचिवालय।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एन0 एस0 डुंगरियाल)
अनु सचिव